कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–उनि/सशि/एफ–501/निशु/पापु/2020–21/ 328–330 दिनांक– 13.05.2020

समस्त मण्डल संयुक्त स्कूल शिक्षा
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,

विषय :– शैक्षिक सत्र 2020–21 में निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों के वितरण के क्रम मे आवश्यक दिशा–निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षिक सत्र 2020–21 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 01 से 08 के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 09 से 12 में समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों एवं वे छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं है को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जानी है। राजस्थान राज्य पाठयपुस्तक मण्डल जयपुर द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 01 जून 2020 से 10 जून 2020 तक एवं द्वितीय चरण में जून 2020 के अन्तिम सप्ताह में शैक्षिक सत्र 2020–21 हेतु कक्षा 1 से 12 की निःशुल्क पाठय पुस्तको का वितरण आप द्वारा निर्धारित पंचायत समिति मुख्यालय पर अवस्थित ब्लॉक नोडल विद्यालयों पर किया जायेगा।

जिला वितरण केन्द्र से ब्लॉक नोडल विद्यालय तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की रहेगी। ब्लॉक नोडल विद्यालय से पीईईओ विद्यालय तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था पीईईओ को करनी होगी, इसके लिए व्यय का वहन राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा किया जाएगा। इस संबंध मे आवश्यक निर्देश शीघ्र ही प्रसारित कर दिए जाएंगे। **प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण एवं प्रबोधन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा :–**

- मण्डल स्तर पर **अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,** निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु मण्डल प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला षिक्षा अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेगें।
- जिला स्तर पर **सहायक निदेशक, कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी**, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु जिला प्रभारी के रूप में अधीनस्थ समस्त अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) से समन्वय रखते हुए कार्य करेगें साथ ही पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला डिपो प्रभारी के रूप में स्थानीय डिपों मैनेजर के साथ समन्वय रखकर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समयबद्ध एवं व्यवस्थित वितरण करवाने हेतु प्रबोधन करेगें।
- ब्लॉक स्तर पर **अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय)** कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, निःशुल्क पाठय पुस्तकों के सुचारू और व्यवस्थित वितरण हेतु ब्लॉक प्रभारी के रूप में अधीनस्थ नोडल अधिकारी से समन्वय रखते हुए कार्य करेंगे।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुव्यस्थित वितरण के लिए अग्राकिंत बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जाए :–

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अपने अधीनस्थ ब्लॉक नोडल विद्यालयों का रूट चार्ट एवं ब्लॉक कक्षा एवं विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मांग की हार्ड कॉपी दिनांक 19.05.2020 तक आवश्यक रूप से राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र को उपलब्ध करवाऐंगे।
2. समस्त ब्लॉक नोडल विद्यालय के परिक्षेत्र मे आने वाली समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का निर्धारण दिनांक 15.05.2020 तक आवश्यक रूप से किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र के जो राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी पीईईओ के अधीन नहीं है, उन्हें भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु पीईईओं से सबद्ध किया जाए।
3. अतिरिक्त ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय) अपने अधीनस्थ ब्लॉक नोडल विद्यालयों पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुरक्षित भण्डारण एवं अधीनस्थ प्रत्येक पीईईओ उसके अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों को समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण का प्रबोधन करेगें।
4. कार्य की महता को देखते हुए समस्त ब्लॉक नोडल विद्यालय के संस्था प्रधान/प्रभारी अधिकारी को पाबन्द करे कि उक्त अवधि में विद्यालय मे उपस्थित रहकर पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करें। उक्त कार्य मे लापरवाही बरतने वाले संस्था प्रधान/प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करें।

www.rajteachers.com

5. राज्य सरकार द्वारा 'बस्ते का बोझ कम करने के पायलट प्रोजेक्ट' के तहत कक्षा 01 से 05 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें विषयवार न होकर त्रैमासिक पुस्तिका भाग–1, भाग–2 एवं भाग–3 होगी। इन त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु गत शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही है। त्रैमासिक निःशुल्क पाठ्य पुस्तिका के प्रत्येक भाग में उस तिमाही में आने वाले पाठ्यक्रम की विषयवार पाठ्यसामग्री होगी।
6. प्रत्येक राजकीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 के गत वर्ष के शेष अवितरित नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 04 से 05 में विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई पाठ्य पुस्तकों का 50 प्रतिषत को उपयोग लेना है। जिन विद्यार्थियों को विषयवार निःषुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है। उन्हें त्रैमासिक निःषुल्क पाठ्य पुस्तकें नही दी जाए।
7. कक्षा 06 से 08 में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सत् प्रतिषत नई पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाए।
8. कक्षा 9 में तृतीय भाषा में सिन्धी, गुजराती एवं पंजाबी विषय, संस्कृत शिक्षा विभाग की पूर्व प्रवेशिका हेतु व्याकरण कौमुदी, काव्य कौमुदी की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की प्रचलित रहेगी। विद्यार्थियों द्वारा इन विषयों की अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। तद्नुसार वितरण की जाए।
9. कक्षा 9 में शेष विषयों के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागु होगा।उक्त बिन्दु संख्या 07 के अतिरिक्त शेष विषयों के लिए शत प्रतिशत नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाए।
10. कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आन्दोलन एवं शौर्य परम्परा विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को नई पुस्तक दी जाए।
11. कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति विषय की लागु नई पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को नई पुस्तक दी जाए।
12. कक्षा 10 की शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही प्रचलन में रहेंगी। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। इसलिए तद्नुसार वितरण जाए।
13. कक्षा 11 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–1 विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को नई पुस्तक दी जाए।
14. कक्षा 11 में सिन्धी साहित्य, गुजराती साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य,प्राकृत भाषा, फारसी साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, लोक प्रशासन, भू–विज्ञान, कृषि विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान तथा कनिष्ठ–उपाध्याय की संस्कृत वाडंमयादर्शः, काव्य शास्त्रलोक, व्याकरण शास्त्रम एवं सस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की प्रचलित रहेगी इसलिए इन विषयों की विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। इस लिए तद्नुसार वितरण किया जाए।
15. कक्षा 11 में बिन्दु संख्या 12 एवं 13 में वर्णित विषयों के अलावा शेष विषयों के लिए शैक्षिक सत्र 2020–21 में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागु होगा। अतः इन विषयों के लिए समस्त विद्यार्थियों को नई पुस्तकें दी जाए।
16. कक्षा 12 में आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग–2 विषय की लागु नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को नई पुस्तक दी जाए।
17. कक्षा 12 एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ उपाध्याय की शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही प्रचलन में रहेगीं। इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरान्त लौटाई गई 50 प्रतिशत पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएंगी। अतः तद्नुसार वितरण किया जाए।
18. जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण भी उसी नोडल विद्यालय द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

संस्कृत शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें :–

1. कक्षाा 01 से 08 तक संस्कृत विषय की **'संस्कृतामृतम'** पुस्तक प्रचलित रहेगी। कक्षा 06 से 08 में तृतीय भाषा हेतु कोई पुस्तक प्रचलन मे नही रहेगी। शेष विषयों की पाठ्य पुस्तकें बिन्दु संख्या 04, 05 06 के अनुसार प्रचलन मे रहेंगी। अतः तदनरूप वितरण किया जाए।
2. पूर्व प्रवेशिका (कक्षा 09) में व्याकरण कौमुदी (प्रथमो भागः), काव्य कौमुदी (प्रथमो भागः) प्रचलन मे रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत (तृतीय भाषा) की शेमुषी नही लगेगी। शेष सभी पुस्तकें बिन्दु संख्या 08 एवं 09 के अनुसार प्रचलन मे रहेगी। अतः तदनरूप वितरण किया जाए।

www.rajteachers.com

3. प्रवेशिका (कक्षा 10) में व्याकरण कौमुदी (द्वितीयो भागः), काव्य कौमुदी (द्वितीयो भागः) प्रचलन मे रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत (तृतीय भाषा) की स्पदंना नही लगेगी। शेष सभी पुस्तकें बिन्दु संख्या 10, 11 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी। अतः तदनरूप वितरण किया जाए।
4. कनिष्ठ उपाध्याय (कक्षा 11) में संस्कृतवाडंमयादर्श (प्रथमो भागः) काव्यशास्त्रलोकः (प्रथमो भागः), व्याकरण शास्त्रम् (प्रथमो भागः), संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन मे रहेगी। शेष पुस्तकें बिन्दु संख्या 12, 13, 14 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी। अतः तदनरूप वितरण किया जाए।
5. वरिष्ठ उपाध्याय (कक्षा 12) में संस्कृतवाडंमयादर्श (द्वितीयो भागः),काव्यशास्त्रलोकः (द्वितीयो भागः), व्याकरण शास्त्रम् (द्वितीयो भागः),वरिष्ठोपाध्याय सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन मे रहेगी। शेष पुस्तकें बिन्दु संख्या 15, 16 के अनुसार प्रचलन में रहेंगी। अतः तदनरूप वितरण किया जाए।

यदि कोई ब्लॉक नोडल विद्यालय कोरोना महामारी के चलते आईसोलेशन सेंटर बनाए गए है और वहां पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भण्डारण के लिए पर्याप्त कक्षों का अभाव है तो, उस ब्लॉक नोडल विद्यालय के निकटस्थ राजकीय विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भण्डारण सुनिश्चित किया जाए। इस स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के भण्डारण एवं वितरण का सम्पूर्ण दायित्व पूर्व निर्धारित ब्लॉक नोडल विद्यालय का ही रहेगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न :– ब्लॉक नोडल विद्यालयों की सूची।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :–

1. विशेषाधिकारी, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, उपायुक्त, शाला दर्पण, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि, पाठ्य पुस्तक मण्डल के जिला वितरण केन्द्र से पाठ्य पुस्तकें ऑनलाईन वितरण हेतु मॉड्यूल नए सत्र के लिए एक्टिव करे।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक एवं प्रारंभिक (मुख्यालय)।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर